

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक—19-10-2023

विषय— श्रीमती आयशा खातुन द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत एकसारी मौजा के खाता संख्या—116, प्लॉट संख्या—286, अंचल—शेखपुरा में SH-18 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.015 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिशेषित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/21/2021-368 दिनांक 23.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/121525/2021/426, दिनांक 25.07.2022 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1 से 6 एवं भाग—B में 1 से 10 शर्तें अधिशेषित की गयी हैं। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 07.09.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UTIBR32623096700354799 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.015 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 14,367/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 07.09.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UTIBR32623096700354799 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 07.09.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 07.09.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UTIBR32623096700354799 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करूंगा
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 9 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

Aisha Khat oon

आयशा खातुन,

पिता-मोहम्मद दानीश मलिक,

साकिन पटान चौक जमुई

पोस्ट-थाना-जमुई जिला-जमुई

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-09-2023

Agency Name.	AISHA KHATOON
Application No.	70121525991
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/121525/2021
Location.	BIHAR
Address.	Ms. Aisha Khatoon, W/o Mohammad Danish Mallick, District Jamui Jamui
Amount(in Rs)	879528/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Nine Thousand Five Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270121525991 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-09-2023

Agency Name.	AISHA KHATOON
Application No.	70121525991
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/121525/2021
Location.	BIHAR
Address:	Ms. Aisha Khatoon, W/o Mohammad Danish Mallick, District Jamui Jamui
Amount(in Rs)	879528/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Nine Thousand Five Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270121525991 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

UT/BR/324239670035 4899

07/09/2023

Union Bank Ltd.

कार्यालय जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के तहत रैखिक
परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक -
28.10.2014 को निर्गत दिशा-निदेश के तहत)

संख्या - ५५०

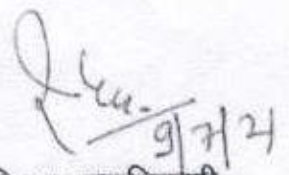
दिनांक - ०१/०१/२०२१

प्रमाणित किया जाता है कि शेखपुरा जिले में प्रयोक्ता एजेंसी एच०पी०सी०एल० द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत मौजा - एकसारी में एस०एच० - १८, शेखपुरा-लखीसराय पथ के किनारे एच०पी०सी०एल० का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु कुल - २० मीटर में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के ०.०१५ हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि आयशा खातून के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक - ९५७, दिनांक - ११.०६.२०२१ द्वारा FRA २००६ का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कड़िका - १ में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक - १३.१२.२००५ के पूर्व ७५ वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष २००१ एवं २०११ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान :- शेखपुरा

तिथि :-


जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा